

प्रेषक:- विधि कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,
महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय:- श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बभण्डी (औरंगाबाद) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रू० 761.00 लाख (सात करोड़ एकसठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण-पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना "Skill Development in 34 Districts Affected by Left wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बभण्डी (औरंगाबाद) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-5082(भ.), दिनांक-19/05/2015 द्वारा कुल राशि 761.00 लाख (सात करोड़ एकसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। जिसके आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बभण्डी (औरंगाबाद) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन एवं छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रुपये 761.00 लाख (सात करोड़ एकसठ लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय केन्द्रांश हेतु-मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60 अन्य, लघु शीर्ष-051 निर्माण, मांग संख्या-03, उप शीर्ष 0222 कौशल विकास योजना, विपत्र कोड-P4059600510222 के अन्तर्गत कुल राशि 372.60 लाख एवं राज्यांश हेतु-मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60 अन्य, लघु शीर्ष-051 निर्माण, मांग संख्या-03, उप शीर्ष 0322 कौशल विकास योजना, विपत्र कोड-P4059600510322 के अन्तर्गत कुल राशि 124.20 लाख तथा इसके अलावे अवशेष राशि 264.20 लाख का व्यय राज्य योजना के मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष 60- अन्य, लघु शीर्ष -051 निर्माण, मांग संख्या -03, उप शीर्ष-0112 औ प्र० संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुर्ननिर्माण/उन्नयन, विपत्रकोड-P4059600510112, राज्य योजना स्कीम कोड-बी० यू आई०-5579 से किया जायेगा, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति बजट उपबंध/आवंटन के अनुरूप आक्यकतानुसार ही राशि की निकासी होगी। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-एम०४-5198 -2561 वि.(2), दिनांक-17/04/98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।

5- व्यय के प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

6- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संचिका सं०-टी-3/योजना(LWE)-09/2015 के पृ०-11/टि० पर विभागीय सचिव तथा पृ०-10/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त है।

विचारसभाजन

विधि कार्य पदाधिकारी

ज्ञापक- टी-3/योजना(LWE)-09/2015-60 /

पटना, दिनांक-11/01/2016

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विधि कार्य पदाधिकारी

ज्ञापक- टी-3/योजना(LWE)-09/2015-60 /

पटना, दिनांक-11/01/2016

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्राचार्य, औ प्र० संस्थान, औरंगाबाद/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्राचार्य, औ प्र० संस्थान, औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।(प्राक्कलन की प्रति संलग्न)

विधि कार्य पदाधिकारी